कलिंग

सम्पादकीय

स्वाधीनता के बदलते आयाम

भारतीय शास्त्रों में प्रकृति को जीवन का आधार बताया गया है वहीं इसी प्रकृति से संस्कृति की ओर जाने को मनुष्यता कहा गया। इसलिए स्वाधीनता के ७२ वर्षों बाद भी इसके विविध स्वरूपों की व्याख्या की जाती रही है। प्रकृति ब्रम्हाण्ड का पोषक है, उसे वृहत्तर दृष्टि और बहुआयामी बनाना मानवता है। इसलिए संस्कृतियों का निर्माण आवश्यक है। प्रकृति को अलग-अलग रूपो में देखा गया है कहीं इसे ईश्वरीय सत्ता का स्वरूप दिया गया है तो कहीं इन्द्रियों के परिष्कार का। महात्मा गांधी की दिव्यदीप्त ने देशवासियों में स्वाधीनता की अलख जगाते हुए नैतिकता के मूल स्वरूप से अवगत कराया। वैसे संस्कृतियों के अवगाहन के मार्ग में आई विकृतियों के परिष्कार का क्रम अनेक ऋषि-मुनियो, संत परंपराओं और सूफियों द्वारा निर्बाध रूप से प्रशक्त होता रहा है। स्वाधीनता के ७२वें पड़ाव में प्रवेश करने के बाद भी आज हमारी व्यवस्था किस कदर भ्रष्टाचार की चपेट में है, यह सभी को पता है। हाल ही में गुवाहाटी के रेल अधिकरी द्वारा निजी कंपनी को ठेका दिलाने के नाम पर एक करोड़ रुपये की रिश्वत के समान ही राजस्थान के दौसा जिले के एसडीएम और पुलिस अधीक्षक द्वारा लाखों रुपये के रिश्वत जैसे मामले चिंतनीय हैं। इस संबंध में हाल ही में जारी ट्रांसप्रेंसी इंटरनेशनल इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल ५१ फीसदी लोगों ने रिश्वत देकर अपने काम निकलवाये। लगभग पूरे देश में नगर पालिकाओं से लेकर स्थानीय स्तर पर सांसद कोष ,विधायक कोष सहित राज्य व केंद्र सरकार की मदद से विभिन्न पंचायतों में करवाये जा रहे निर्माण कायों में जमकर धांधली होती है। ऐसी स्थितियों में सरकारी निर्माणों के दुरुस्त होने की उम्मीदें तभी जग सकती हैं जब सत्तासीन सरकारें भ्रष्टाचार के आपराधिक गठजोड़ पर प्रहार करें। साथ ही ऐसे मामलों में यदि पीड़ित पक्ष के लोग सिर्फ मुआवजा लेकर खामोश हो जायेंगे तो किसी सार्थक बदलाव की संभावना नहीं बनेगी।

सरकार आश्रित प्रजा तैयार करने की नीति ने इस अवधि में हमें इतना पंगु बना दिया है कि ऑनलाइन संस्कृति की प्रवृत्ति के चलते अपनी निजता को खत्म करने पर तुले हुए हैं। वावजूद इसके आज वैश्वीकरण के अंधानुकरण में बढ़ती लोलुपता, शोषणात्मक प्रवृत्ति ने प्रकृति से तादात्म्य की उपेक्षा कर नैतिकता और कर्तव्यबोध को विस्मृत कर इतना पतित हो गया कि हम विषाक्त सांस लेने को अभिशप्त हैं। जलस्त्रोत, खाद्य सामग्री के उद्गम से लेकर जैव विविधता के बिगड़ते परिदृश्य पर होने वाले दिग्गजों के वैश्विक चिन्तन हमारी तुच्छ महत्वकांक्षाओं के समक्ष निष्प्रभावी होते जा रहे हैं। हमने अपनी पूरी भौतिकवादी सत्ता बाजार को सौंप दिया है जिसके परित्याग का विचार प्राण त्याग के समान भयावह प्रतीत होता है। यहीं से हिंसा का अध्याय शुरू हुआ और तथाकथित रूप से स्वाधीन होते हुए भी तथ्यों के मूल को अपने हित में व्याख्या कर सृष्टि के विनाश का एक प्रमुख घटक बन गये हैं, जिसका घिनौना स्वरूप आज संपूर्ण जगत मे हो रही हिंसक घटनाओं में दिखाई दे रही हैं। राष्ट्र, समाज की अवधारणा और मानवीय संवेदनाये कुन्द होती जा रही हैं। चहुंओर हिंसक ताण्डव का माहौल बन गया है। विडंबना यह है कि आधुनिकता और विकास के चकाचैंध के नाम से बाहर से दिखने वाले बदलाव तो सर्वत्र दिखाई देते हैं लेकिन इसके वास्तविक मूल्यों के बारे में समझना जरूरी नहीं समझा गया। हमारा समाज आज भी सामांती मूल्यों के जकड़ में जी रहा है उसके साथ केवल दिखावे की आधुनिकता और विकास का घालमेल होता है तो वह शायद ज्यादा घातक होता है। मौजूदा भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह अच्छा है कि पिछले कुछ सालों के दौरान विकास भारतीय राजनीति का मुख्य मुद्दा बना है और राजनीतिक बहसें भी इसी पर केंद्रित होने लगी हैं लेकिन अर्थव्यवस्था के गिरते ग्राफ सहित सामाजिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मोर्चों पर क्रमिक और सतत सुधार की स्थिति नहीं बन सकी। सवाल अनाज और पानी तक सीमित नही है बल्कि जीवन के अधिकार और उससे आगे जीवन जीने का है। ऐसे में आर्थिक उपलब्धियों को विकास का पर्याय बताना बेइमानी होगी।

महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार राष्ट्रीय बालिका दिवस को पंख अभियान, आंगनबाड़ी उन्नयन सहित वन स्टाप सेंटर से जोड़ने का संकल्प किया है। लेकिन वास्तव में क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और जातिवाद वे ताकतें हैं जो कभी भी महिलाओं को पुरुषों के साथ समतावादी संबंध रखने की अनुमति नहीं देते। इन पक्षों ने ऐसे समाज व्यवस्था को निर्मित किया है जहां लैंगिक असमानता गहराई से स्थापित हो चुकी है, जिसके निर्मूलन के लिए जनप्रतिनिधि, नौकरशाह, न्यायपालिका और मीडिया की पक्षपातरहित भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। विकास की कसौटी पर जिस तरह की अर्थनीतियां लागू रहीं उसका परिणाम 'सबका विकास' के उलट रहा। इसमें अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति रही है उसमें देश के एक खास वर्ग के पास संपत्ति का बेहद असंतुलित केन्द्रीकरण हुआ। टाइम टु केयर की रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे अमीर लोगों के पास देश की कम आय वाली ७० फीसदी आबादी की तुलना में चार गुना से ज्यादा संपत्ति है इससे स्पष्ट है कि विकास का दायर बढ़ाने के बीच देश के संसाधन और संपत्ति महज कुद लोगों तक सिमटकर रह गई है। एक ओर मुनाफा आधारित कारोबारियों की स्थिति मजबूत तो दूसरी ओर संसाधनों से वंचित लोगों के पांव और भी कमजोर होते जाते हैं। जबकि किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में विकास उसी कसौटी पर होता है जहां देश ने कमजोर तबकों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियां बनाई जाती हैं। आचार्य चाणक्य ने प्रजा एवं देश की सम्पन्नता के लिए राजा, मंत्री-परिषद्, और सेना को एक वृक्ष के समान उत्तरदायी बताया। जिसमें राजा एक वेतनभोगी सेवक से ज्यादा बड़ी हैसियत नहीं रखता। मानवीय संस्कृतियों में एक शक्तिसंपन्न व्यक्ति कमजोर व्यक्ति का संरक्षक होता है, जिससे भयमुक्त होकर विमर्श कर सकता है जिसे मुखिया या राजा कहा जा सकता है लेकिन पिछले कुछ दिनो से व्याप्त राजनीतिक नेताओं के बेलगाम बदजुबानी लोकतंत्र के क्या निहितार्थ हो सकते हैं? एक लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत अपनी राय के पक्ष में किसी तरह का उन्माद फैलाना यहां की राजनीति को किस दिशा में ले जा रहा है? यह चिन्ता का विषय है। एक समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं वाला यह वही देश है जहां सत्तासीन नेताओं के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने अनके अवसर पर सख्त और तल्ख लहजे में अपना विरोध दर्ज कराया। विश्व इतिहास के किसी भी अन्य दौर की अपेक्षा आज न्याय, समानता, अमन-शांति और पर्यावरण रक्षा के आंदोलनों व अभियानों का परस्पर नजदीक आना और मिलकर कार्य करना आवश्यक हो गया है। मुख्यधारा के समाचार माध्यमों के समानांतर जब डिजिटल इंडिया के नारे के साथ सोशल मीडिया का विस्तार हो रहा था तब उम्मीदे बंधी थी कि लोगों में तथ्यों को परखने की प्रवृत्ति बढेगी, लेकिन बिडंबना है कि बढ़ते प्रोद्योगिकी संसाधनो की पहुंच इसके दुरूपयोग का कारण बनती जा रही है। आधुनिक तकनीक और संचार के माध्यमों के उपयोग के मामले में पहले से ही कम परिपक्त समाज में यह स्थिति घातक साबित हो सकती है।

असली गणतंत्र तो अभी बाकी है !

भारतीय संविधान लागू होने की वर्षगांठ को भले ही हम हर्षोल्लास के साथ मना रहे हो।लेकिन यह भी सच है कि भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुरूप अभी देश नही बन पाया है।सच कहा जाए तो असली गणतंत्र आना अभी बाकी है।हालांकि हमारा संविधान जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नही करता ,लेकिन देश मे शिक्षा से लेकर राजनीति तक कोई भी काम बिना जाति और धर्म के नही होता।नवजात शिशु के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किए जाने वाले आवेदन तक मे जाति और धर्म का उल्लेख करना पड़ता है।विद्यालय में प्रवेश के लिए भी जाति और धर्म बताना जरूरी है। दरअसल राजनीति से जुड़े लोगो के हाथ मे सत्ता की चाबी आते ही सत्ता में बने रहने के लिए भारतीय संविधान को उसकी मूल भावना से परे जाकर संविधान को अपने अपने स्वार्थ से अलग अलग रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया गया है।इसीलिए भारतीय संविधान में एक सौ से अधिक बार संशोधन हो गए है।भारतीय संविधान की वर्षगांठ पर यह विचार करना आवश्यक है कि दुनिया के सबसे बड़े इस लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत में क्या सही मायनों में स्वस्थ लोकतंत्र कायम है।आज भी गण का तंत्र होने पर भी गण ही अपने अधिकार से वंचित हो गए है। भारतीय संविधान लागू होने के बाद देश की जनता को लगा था कि अब उनका शासन उनके द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन कुछ चुनिंदा पूंजीपतियो की जेब का खिलौना बने राजनीतिक दलों ने आमजनता को व उनके अधिकारों को दरकिनार कर पूंजीपतियों के सहारे देश में सत्ता प्राप्त करने की ऐसी चाल चली कि गणतन्त्र बेचारा धराशाही होकर रह गया। विधायको और सांसदो की कथित खरीद - फरोख्त व किसान- मजदूरों के हितों पर होते कुठाराघात ने देश के गणतंत्र को कमजोर करके रख दिया है।

भारतीय गणतन्त्र को इस तरह धराशाही करने की कोशिश की जाएगी, यह किसी ने सोचा तक नही था। तभी तो इस गणतन्त्र में क्या वास्तव में आमजनता को उनका अपना वास्तविक तन्त्र मिल पाया ?इस विषय पर चिंतन होना चाहिए।भारतीय संविधान की मूल भावना पर गौर करे तो क्या जनता पर जनता के द्वारा शासन का सपना वास्तव में चरितार्थ हो पाया? सन १९५० में भारतीय संविधान भले ही देश में लागू हो गया हो। भले ही देश के प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान में समानता का अधिकार देने की व्यवस्था की गई हो ,लेकिन गणतन्त्र लागू होने के सात दशक से अधिक बीतने पर भी देश मे नाम मात्र के लोगो का ही गणतन्त्र बन पाया है। देश मे सत्ता वे लोग ही हासिल कर रहे है,जो धन बल से परिपूर्ण है। बेचारे आम लोग तो आजादी के बाद से आज तक धन बल वालो के ही मोहताज बने हुए है। यही कारण है कि आम लोग जब असहनीय रूप से शोषित और पीड़ित हो जाते है तो वे अपने अधिकारों के लिए सडकों पर आकर आंदोलन करने को मजबूर होते है।जैसे इस बार किसानों को कृषि कानून वापसी की मांग को लेकर सड़को पर उतरना पड़ा।जिन्हें लाठी डंडे से दबाने की भरपूर कोशिश की गई। वह तो भला हो सर्वोच्च न्यायालय का जिसने किसानों के दर्द को समझा और उक्त मनमाने कानून पर रोक लगा दी।लेकिन इससे यह तय हो गया है कि अब आम आदमी अपने विरूद्ध होने वाले हर अन्याय का प्रतिवाद करने को तैयार हो गया है।आज हालत यह है कि ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रपति पद तक के चुनाव में कोई भी आम आदमी चुनाव लडने का साहस नही जुटा पाता । ग्राम स्तर पर गांव के धनाढय वर्ग से जुडे लोग चुनाव लडते है तो क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, विधान सभा,लोक सभा चुनाव मे भी आम जनता मे से कोई चुनाव लडने का साहस नही जुटा पाता है।। क्योकि लाखो करोड़ो रुपयों के बिना अब कोई भी चुनाव लडना सभंव नही रह गया है। राज्य सभा और विधानपरिषद तो राजनीतिक दलो की अपनी बपोती बन गई है। शायद ही किसी गरीब और आम आदमी को इन सदनो मे से किसी का सदस्य बनाया जाता हो, बडी राजनितिक पार्टिया अपने चेहतो को राज्य सभा और विधान परिषदो मे भेजकर उपकृत करती रही है । इन सीटो पर वे अपने चेहतो को भेजने के लिए संख्या बल के हिसाब से सीटो का आपसी बटवारा कर लेते है।

जिससे आम जनता हर बार ठगी जाती है। दरअसल ये सीटे उन खास लोगो के लिए संविधान ने दी थी जो देश और समाज के लिए कुछ विशेष करते है।जिन्हें आज भुला दिया गया।

इसी कारण इन संसद व विधान मंडल सदनो मे चुनकर जाने वाले नेता अपने क्षेत्र के प्रति जवाबदेह भी नही रहते । उनकी सांसद और विधायक निधि या तो खर्च ही नही हो पाती या फिर उसका जमकर दुरूपयोग किया जाता है।जो राष्ट्रहित में कदापि नही है।पिछले चुनाव मे एक भी ऐसा प्रत्याशी किसी बडे रानीतिक दल से चुनाव मैदान में नही आया जो गरीब की रेखा से नीचे का हो या फिर आमजनता के बीच का हो और किसी बडी राजनीतिक पार्टी ने उसे टिकट दिया हो । जीवन पर्यंत अपने दल के प्रति वफादार रहने वाले भी इसी कारण टिकट से वंचित रह जाते है क्योकि उनके पास धन बल नही होता। जबकि धनबल के सहारे दलबदल कर स्वार्थी नेता हर दल से टिकट पाने मे सफल हो जाते है और करोडो खर्च करके चुनाव जीतकर चुनाव में जो खर्च किया उसे बटोरने में लग जाते है।।ऐसे में वे आम जनता की सेवा कैसे कर पायगे? चुनाव के दौरान प्रभावित क्षेत्रो से करोड़ो रूपये का काला धन पकडा जाना, चुनाव मे बेताहशा खर्च होने का प्रबल प्रमाण है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के ७४ साल बाद भी आम आदमी भूख से मर रहा है,युवा रोजगार को तरस रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे है। आज जब जो चाहे सडक जाम कर मरीजो को अस्पताल जाने से रोक सकता है। आज भी कर्मचारी या अधिकारी चाहे तो गरीब को उसके द्वारा घूस न देने के कारण उसे उसके मौलिक अधिकारों से वंचित कर सकते है। आज भी प्राइवेट स्कूलों व प्राइवेट अस्पतालो मे गरीबो के लिए के लिए प्रवेश दिवास्वप्न के समान है। आज भी गरीबो की भूमि पर भूमाफियाओ के कब्जे की शिकायते होना और उन्हें न्याय न मिल पाना आम बात है।

ऐसे में कैसे भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुरूप सभी को उनका अपना गणतन्त्र सुख मिल पाएगा?यह विचार मंथन हमे आज के दिन करना चाहिए । कोरोना की लंबी महामारी और किसान आंदोलन ने सन २०२० में अनेक दु:ख दिए,कई अपने हमेशा के लिए बिछड़ गए तो आर्थिक तंगी और बढ़ती महंगाई ने मध्यम व निम्न वर्ग के लोगो को खूब रुलाया।सन

गणतंत्र पर हावी होता आरक्षण

भारत में गणतंत्र दिवस की भूमिका बहुत अहम् होती है। इसी दिन संविधान की स्थापना हुई। गणतंत्र दिवस भारतीयों की भावनाओ से जुड़ा हुआ विशेष दिन है ।गणतंत्र के ७१ वर्ष पूरे हो गए हैं। आजादी के बाद देश को चलाने के लिए संविधान लिखा गया,जिसे लिखने में पूरे २ साल ११ महीने और १८ दिन लगे। २६ जनवरी १९५० ई को सुबह १०:१८ मिनट पर भारत का संविधान लागू किया गया था और इसी उपलक्ष्य में हम २६ जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। २६ जनवरी १९५० से पहले भारत संवैधानिक तौर पर गणराज्य नहीं बल्कि राजतंत्र ही था। २६ जनवरी १९५० से पहले गर्वनमेंट ऑफ इंडिया एक्ट १९३५ के तहत भारत में शासन चलाया जाता था। दिल्ली में २६ जनवरी,१९५० को पहली गणतंत्र दिवस परेड,राजपथ पर न होकर इर्विन स्टेडियम (आज का नेशनल स्टेडियम) में हुई थी। १९५५ ई को दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस की पहली परेड हुई थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर परेड आयोजित की जाती है और इस परेड की सलामी देश के राष्ट्रपति लेते हैं। हर साल २१ तोपों की सलामी दी जाती है। १९५० ई से हम गणतंत्र दिवस को हर वर्ष ढ़ेर सारे हर्ष और खुशी के साथ मनाते हैं। १९५० से ही भारत दूसरे देश के राष्ट्र प्रमुखों को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंतित्र करता आ रहा है। २०२१ ई में ७२ वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस २०२१ के मौके पर इस साल कोई मुख्य अतिथि नहीं होगा। ऐसा ५० सालों में पहली बार होगा जब कोई मुख्य अतिथि नहीं होगा । शुरू में,ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन को भारत आने के लिए आमंत्रित किया गया था। लेकिन,ब्रिटेन में एक नए कोविड-१९ स्ट्रेन के बढ़ते प्रकोप के चलते उन्हें अपनी यात्रा रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे पहले,भारत के पास १९५२,१९५३ और १९६६ में परेड के लिए मुख्य अतिथि नहीं थे। पिछले साल १५०००० के मुकाबले इस साल गणतंत्र दिवस २०२१ समारोह में सिर्फ २५००० लोग हिस्सा ले रहे हैंगणतंत्र दिवस परेड राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट पर खत्म होर्गी इसके बाद का मार्ग विजय चौक से राजपथ,अमर जवान ज्योति,इंडिया गेट प्रिंसेस पैलेस, तिलक मार्ग से होते हुए आखिर में इंडिया गेट तक जाएर्गा पिछले साल भारतीय वायु सेना में शामिल राफेल लड़ाकू जेट, पहली बार परेड में भाग ले रहे हैंपरेड में भारत की पहली महिला फाइटर पायलट भावना कान्त और बांग्लादेश सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी भी शामिल होगी कोविड -१९ सुरक्षा मानदंडों के चलते,मोटरसाइकिल से चलने वाले पुरुषों के करतब (स्टंट) जो राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में भीड़ के लिए एक प्रमुख आकर्षण होता है,इस साल देखने को नहीं मिलेर्गा बांग्लादेश सेना का एक सैन्य बैंड भी परेड में भाग ले रहा हैं इस साल,बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की ५० वीं वर्षगांठ मनाईं लद्दाख जो हाल में ही केंद्र शासित क्षेत्र बना है,राजपथ पर एक शानदार झांकी के साथ पहली बार दस्तक दे रहा हैं जिसमें सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया हैं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की महिमा और भव्यता का प्रदर्शन २६ जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड के दौरान किया जाएर्गागणतंत्र दिवस की झांकी में अयोध्या में 'दीपोत्सव' की झलक भी होर्गीसंस्कृति मंत्रालय,इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और आई. टी,आयुष मंत्रालय,सूचना और प्रसारण मंत्रालय,और रक्षा क्षेत्र से झांकियां शामिल हैं जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) की झांकी स्वदेशी रूप से कोविड -१९ वैक्सीन के निर्माण के लिए वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयासों को प्रदर्शित करेंर्गी झांकी में वैक्सीन के पूर्व-परीक्षण और परीक्षण चरणों के विभिन्न चरणों का चित्रण हैं २०२१ गणतंत्र दिवस में मीडिया प्रतिनिधियों की संख्या को ३०० से घटाकर २०० कर दी गई है। इसके साथ ही १५ साल से कम उम्र के बच्चों को उपस्थित होने की इजाजत नहीं है। वीरता पुरस्कारों की परेड और बहादुरी पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चे भी ७२ वें गणतंत्र दिवस समारोह में नहीं होंर्गे गणतंत्र दिवस समारोह का समापन 'बीटिंग रिट्रीट' सेरेमनी से २९ जनवरी को किया जाता है,जबकि स्वतंत्रता दिवस (१५ अगस्त) के जश्न का समापन उसी दिन ही किया जाता है। बीटिंग रिट्रीट समारोह सदियों पुराने उस सैन्य परंपरा को दर्शाती है जिसमे इन सैन्य धुनों के बजने पर सेना लड़ना बंद कर देती है और अपने हथियार रख देती है। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट्स में से एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होर्गी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली वह पहली महिला फायटर पायलट हैं

दो शब्दों से मिलकर बना है गणतंत्र । गण और तंत्र । गण का शाब्दिक अर्थ है दल/समूह/लोक। तंत्र का शाब्दिक अर्थ है डोरा/सूत (रस्सी)। अर्थात ऐसी रस्सी/डोरा,जो लोगों के समूह को जोड़े,लोकतंत्र कहलाता है।भारत में लोकतंत्र है और राजनेताओं ने लोकतंत्र का आधार, आरक्षण को बना दिया है। भ्रष्ट प्रशासन ,शिक्षा से लेकर न्याय तक का राजनैतिककरण होना,लोकतंत्रात्मक प्रणाली का जुगाड़ तंत्रात्मक हो जाना आदि अन्य सामाजिक कुरीतियों ने जन्म ले लिया। २५/०८/१९४९ ई में संविधान सभा में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति आरक्षण को मात्र १० वर्ष तक सिमित रखने के प्रस्ताव पर एस. नागप्पा व बी. आई. मुनिस्वामी पिल्लई आदि की आपत्तियां आई। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा मैं नहीं समझता कि हमे इस विषय में किसी परिवर्तन की अनुमति देनी चाहिए। यदि १० वर्ष में अनुसूचित जातियों की स्थिति नहीं सुधरती तो इसी संरक्षण को प्राप्त करने के लिए उपाए ढूढ़ना उनकी बुद्धि शक्ति से परे न होगा। आरक्षण वादी लोग,डॉ अम्बेडकर की राष्ट्र सर्वोपरिता की क़द्र नहीं करता। आरक्षण वादी लोगों ने राष्ट्र का संतुलन ख़राब कर दिया है। आरक्षण वादी लोग वोट की राजनीति करने लगे हैं न कि डॉ अम्बेडकर के सिद्धांत का अनुपालन कर रहे हैं। आरक्षण देने की समय सीमा तय होनी चाहिए जिससे दबे कुचले लोग उभर सकें। जब आरक्षण देने की तय सीमा के अंतर्गत दबे कुचले लोग उभर जाएं तो आरक्षण का लागू होना सफल माना जाए। आरक्षण कोटे से चयनित न्यायाधीश, आई.ए.एस.,आई.ई.एस.,पी.सी.एस.,इंजीनियर,डॉक्टर आदि अपने कार्य का संचालन ठीक ढंग से नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें कोटे के तहत उभरा गया। इस प्रकार के आरक्षण से मानवता पर कुठारा घात हो रहा है। अतएव शिक्षित व योग्य व्यक्ति को शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। इस प्रकार की आरक्षित कोटे कि शिक्षा विकास कि उपलब्धि नहीं है। यह विकास के नाम पर अयोग्य लोगों को शरण देने वाली बात है। किसी भी देश के विकास में आरक्षण अभिशाप है ।आज यदि हम देश को उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं और देश की एकता बनाये रखना चाहते हैं,तो जरूरी है कि आरक्षणों को हटाकर हम सबको एक समान रूप से शिक्षा दें और अपनी उन्नति का अवसर पाने का मौका दें। अत: राष्ट्र के विकास को जीवित रखने के लिए,आरक्षण को वोट कि राजनीति से दूर रखना होगा। आरक्षण,विकास का आधार नहीं हो सकता। आरक्षण लोकतंत्र का आधार नहीं हो सकता। आरक्षण समुदाय को अलग करने का काम करता है न कि जोड़ने का। ऐसी डोर जो समुदाय या लोगों को जोड़े वह है लोकतंत्र। लोकतंत्र का आधार सिर्फ और सिर्फ विकास हो सकता है क्योंकि डोर या रस्सी रूपी विकास ही समूह को जोड़ने का आधार है। लोकतंत्र का आधार विकास होना चाहिए न कि आरक्षण। ताजा स्थिति यह है कि आरक्षण राष्ट्रीय विकास पर हावी है ।जिस तरह देश में फर्जी स्कूलों कि बाढ़ आ चुकी है और हजार हज़ार में डिग्रियाँ बिक रही है जिससे वो लोग डिग्री तो पा लेते है किन्तु अपने दायित्वों का निर्वाह नही कर पाते क्यों की योग्यता तो होती नही। परिश्रम किए बिना ही पद मिल गया। वही स्थिति जाति प्रमाण पत्र की है कि बिना परिश्रम के जाति प्रमाण पत्र के सहारे पद मिल जाता है। फिर देश का नाश हो या सत्यानाश इन्हे कोई फर्क नही पड़ता। जातिवाद देश को तोड़ने का काम करता है जोड़ने का नही। ये बात इन लोगो की समझ में नही आएगी क्यूँकि समझने लायक क्षमता ही नही है। देश के विषय से इन्हे प्यारा है आरक्षण। दूसरों कि गलतियां निकाल कर ख़ुद को दोषमुक्त और दया का पात्र बनाना। आरक्षण जिसे ख़ुद अंबेडकर ने १० साल से ज्यादा नही चाहा और जिसे ये लोग मसीहा मानते है उसके बनाए हुए नियम को ख़ुद तोड़ते है सिर्फ़ अपनी आरक्षण नाम कि लत को पूरा करने के लिए। वैसे भी जब किसी को बिना किए सब कुछ मिलने लगता है तो मेहनत करने से हर कोई जी चुराने लगता है और वह आधार तलाश करने लगता है जिसके सहारे उसे वो सब ऐसे ही मिलता रहे। यही आधार आज के आरक्षण भोगी तलाश रहे है। कोई मनु को गाली दे रहा है तो कोई ब्राह्मणों को। कोई हिंदू धर्म को तो कोई पुराणों को। कुछ लोग वेदो को तो कुछ लोग भगवान को भी। परन्तु ख़ुद के अन्दर झाँकने का ना तो सामर्थ्य है और ना ही इच्छाशक्ति। जब तक अयोग्य लोग आरक्षण का सहारा लेकर देश से खेलते रहेंगे तब तक ना तो देश का भला होगा और ना समाज का और ना ही इनकी जाति का। देश के विनाश का कारण है आरक्षण। आज हर जाति में अमीर है हर जाति में गरीब। हर जाति में ज्ञानी लोग है और हर जाति में अज्ञानी। हर जाति में मेहनत कश लोग है और हर जाति में नकारा,हर जाति में नेता है और हर जाति में उद्द्योगपति। देश को तोड़ रहा है सिर्फ़ जातिवाद वो भी कुछ लोगो की लालसा, वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से। जिस दिन हर जाति के लोग जात पात भुलाकर योग्यता के बल पर आगे जायेंगे और योग्यता के आधार पर देश का भविष्य सुनिश्चित करेंगे देश ख़ुद प्रगति के रास्ते पर बढ़ चलेगा।

मरने से पहले किसी का ऋण लेकर न मरना यह वाक्य कहने वाला भारत जैसा देश,अरबों रुपयों के विदेशी कर्ज का ऋणी है। अल्प परिमाण में जो स्वाभिमान है वह सिर्फ भारतीय इतिहासकारों ने बचा रखा है। अत: गणतंत्र को पुन: जीवित करने के लिए स्वदेशिता,स्वभिमानिता,स्वाधीनता एवं स्वावलम्बन को अपने निजी जीवन में उतारना होगा।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता भारत

गत १३ जनवरी को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ४५६९६ करोड़ रुपये की लागत से ७३ एलसीए तेजस एमके-१ए लड़ाकू विमान और १० एलसीए तेजस एमके-१ ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी दी गई जबकि डिजाइन और बुनियादी ढ़ांचे के विकास के लिए १२०२ करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। दरअसल भारतीय वायुसेना में काफी लंबे समय से अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों तथा रक्षा साजो-सामान की कमी महसूस की जा रही थी, ऐसे में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीएस) द्वारा वायुसेना के लिए स्वदेशी लड़ाकू विमान 'तेजस' की खरीद का यह ४७ हजार करोड़ का सौदा वायुसेना को मजबूत बनाने के दृष्टिगत बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तेजस एचएएल द्वारा भारत में ही विकसित किया गया हल्का और मल्टीरोल फाइटर जेट है, जिसे वायुसेना के साथ नौसेना की जरूरतें पूरी करने के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) १ए तेजस फाइटर तैयार करने के लिए एचएएल द्वारा नासिक तथा बेंगलुरू में सेटअप तैयार कर लिया गया है ताकि तय समय सीमा के अंदर इन विमानों की डिलीवरी वायुसेना को मिल सके। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक यह सौदा भारतीय रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए गेम-चेंजर होगा और इससे देश में ५० हजार नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

भारत को चीन, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से युद्ध करते हुए महसूस होने लगा था कि देश को दुश्मनों की चुनौती का मुकाबला करने के लिए स्वदेशी लड़ाकू विमानों की जरूरत है। मिग-२१ लड़ाकू विमान की पुरानी होती तकनीक को देखते हुए मिग विमानों का उपयुक्त विकल्प तलाशने और घरेलू विमानन क्षमताओं की उन्नति के उद्देश्य से देश में १९८१ में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम शुरू किया गया था। उसी के बाद १९८३ में तेजस विमानों की परियोजना की नींव रखी गई थी। इसके लिए एयरोनॉटिकल डवलपमेंट एजेंसी (एडीए) का गठन किया गया, जिसके लिए तकनीकी विशेषज्ञों का चयन होने में करीब एक वर्ष का समय लगा। तेजस का जो सैंपल तैयार किया गया, उसने अपनी पहली उड़ान जनवरी २००१ में भरी थी लेकिन सारी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद यह हल्का लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन में २०१६ में ही शामिल किया जा सका था। 'तेजस' का यह अधिकारिक नाम ४ मई २००३ को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रखा गया था। तेजस संस्कृत भाषा का नाम है, जिसका अर्थ है 'अत्यधिक ताकतवर ऊर्जा'। वर्ष २०१५ में तेजस को वायुसेना में शामिल करने की घोषणा हुई थी, जिसके बाद जुलाई २०१६ में वायुसेना को दो तेजस सौंप दिए गए थे। वायुसेना को करीब दो सौ तेजस विमानों की जरूरत है। पिछले वर्षों में वायुसेना एचएएल को ४० तेजस विमानों की खरीद का ऑर्डर दे चुकी है, जिनमें से आधे से ज्यादा वायुसेना को मिल चुके हैं और अब ८३ तेजस विमानों का नया सौदा आने वाले समय में वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने में मददगार होगा।

रक्षामंत्री के अनुसार एलसीए-तेजस आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े की रीढ़ बनने जा रहा है। दरअसल वायुसेना में अभी तेजस की कुल दो स्क्वाड्रन हैं और ८३ तेजस मिलने के बाद इनकी संख्या ६ हो जाएगी, जिनकी तैनाती अनिवार्य रूप से फ्रंटलाइन पर होगी। तेजस में कई ऐसी नई प्रौद्योगिकियों को भी शामिल किया गया है, जिनमें से कई का भारत में इससे पहले कभी प्रयास भी नहीं किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया का कहना है कि तेजस लड़ाकू विमान चीन-पाकिस्तान के संयुक्त उद्यम में बने लड़ाकू विमान जेएफ-१७ से हाईटेक और बेहतर है और यह किसी भी हथियार की बराबरी करने में सक्षम है। गुणवत्ता, क्षमता और सूक्ष्मता में तेजस के सामने जेएफ-१७ कहीं नहीं टिक सकता। उनका कहना है कि तेजस आतंकी ठिकानों पर बालाकोट स्ट्राइक से भी ज्यादा ताकत से हमला करने में सक्षम है। एक तेजस मार्क १ए लड़ाकू विमान की कीमत करीब ५५० करोड़ रुपये है, जो एचएएल द्वारा ही निर्मित सुखोई-३० एमकेआई लड़ाकू विमान से करीब १२० करोड़ रुपये ज्यादा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि तेजस मार्क १ए लड़ाकू विमान इसी श्रेणी के दूसरे हल्के लड़ाकू विमानों से महंगा इसलिए है क्योंकि इसे बहुत सारी नई तकनीक के उपकरणों से लैस किया गया है। इसमें इसराइल में विकसित रडार के अलावा स्वदेश में विकसित रडार भी हैं। इसके अलावा इसमें अमेरिका की जीई कम्पनी द्वारा निर्मित एफ-४०४ टर्बो फैन इंजन लगा है। यह बहुआयामी लड़ाकू विमान है, जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी बेहतर नतीजे देने में सक्षम है। ४२ फीसदी कार्बन फाइबर और ४३ फीसदी एल्यूमीनियम एलॉय व टाइटेनियम से बनाए गए तेजस में एंटीशिप मिसाइल, बम तथा रॉकेट लगाए जा सकते हैं और यह हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइलें छोड़ सकता है। लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइलों से लैस तेजस अपने लक्ष्य को लॉक कर उस पर निशाना दागने की विलक्षण क्षमता रखता है। यह कम ऊंचाई पर उड़कर नजदीक से भी दुश्मन पर सटीक निशाना साध सकता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यह ८-९ टन तक वजन उठाने में सक्षम है और ध्वनि की गति से डेढ़ गुना से भी ज्यादा तेज उड़ सकते है। इसे जैमर प्रोटेक्शन तकनीक से लैस किया गया है ताकि दुश्मन सीमा के करीब संचार बाधित नहीं हो सके। यह दूर से ही दुश्मन के विमानों पर निशाना साध सकता है और दुश्मन के रडार को भी चकमा देने की क्षमता रखता है। पूर्णतया देश में ही विकसित करने के बाद तेजस की ढ़ेरों परीक्षण उड़ान होने के बावजूद अब तक एक बार भी कोई भी उड़ान विफल नहीं रही और न ही किसी तरह का कोई हादसा हुआ। तेजस से हवा से हवा में मार करने वाली बीवीआर मिसाइल का सफल परीक्षण किया जा चुका है। इसके अलावा यह विमानवाहक पोत से टेकऑफ और लैंडिंग का परीक्षण एक ही उड़ान में पास कर चुका है। डीआरडीओ द्वारा तेजस का रात के समय किया गया अरेस्टेड लैंडिंग का ट्रायल भी पूर्ण रूप से सफल रहा था। कुल मिलाकर भारत में निर्मित तेजस फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरे हैं। साढ़े चार जनरेशन का हल्का लड़ाकू विमान तेजस भारत का पहला ऐसा स्वदेशी लड़ाकू विमान है, जिसमें ५० फीसदी से ज्यादा कलपुर्जे भारत में ही निर्मित हैं।